न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02 / 2019 **दायर दिनांकः 15.04.2019**

उनवान

1. छीतरलाल पुत्र नोद्या जी जाति मेघवाल निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

1. लटूरलाल पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. रामप्रसाद पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007

निर्णय दिनांक 31.10.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 इस आशय का पेश किया है कि भगवान की असीम कृपा से मेरे को भगवान ने दो बच्चे दिऐ है। जिनकों मैने पडाया लिखाया तथा उनकी शादियां ब्याह भी किया तथा शादी ब्याह करने के बाद उनके भरण पोषण के लिए मेरे पास जो जमीन थी उसमें से मैने दौनों बच्चों को साडे 5 बीघा जमीन दौनो को अलग—अलग से दे दी एवम दौनों अभी मेहनत मजदूरी कर एवम उक्त आराजी को कास्त कर अपना अपना पेट पालन कर रहे है पर जिस समय उनको जमीन दी गयी थी उस समय 5 बीघा जमीन मेने अपने पास रखी थी। जिससे मे अपना पेट पालन कर सकूं एवम हारी बिमारी में अपना इलाज करवा सकूं। इस प्रकार से धीरे—धीरे समय में बदलाव आया एवम बदलाव के अनुसार मेरे दौनों बच्चो में भी बदलाव आया तथा उन्हौने मुझे खाना पीना देना बन्द कर दिया जिससे मै परेशान हूॅ एवम जो मेरे पास 5 बीघा आराजी थी उसे भी मेरे से छीन लिया गया इस पर मेने उनसे कहा कि मेरी पास की जमीन को भी आपने छीन लिया अब मैं किससे अपना पेट भरूगा तो उन्होने कहा कि भीख मांग कर अपना पेट पालन कर लेना उक्त आराजी पर अगर पैर भी रखा तो जान से मार कर उसी खेत में गाड देगे इसलिए खेत पर पैर भी मर रखना

इससे मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है उनको मेरे मिलने वालें रिस्तेदारों ने भी समझा लिया पर वह किसी की भी बात को मानने में तैयार नही है।

अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि मेरे दौनों बच्चों लटूरलाल एवम रामप्रसाद से मुझे खाथा पीना दिलवाया जावें एवम मेरी हारी बिमारी पर उसका इलाज भी यह दौनों ही करवाऐगे ऐसा उनको आदेश दिया जावें आपकी मुझ गरीब पर अति दया होगी।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की गई, अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई, अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को प्रताडित कर घर से निष्कासित कर दिया गया है। प्रार्थी की ग्राम नृसिंहपुरा में 16 बीघा आराजी खाते दर्ज है। जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है। प्रार्थी गांव में किराये के मकान में रह रहा है। जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी वृद्ध है। अन्य कोई काम धन्धा नही कर सकता अप्रार्थीगण से प्रार्थी को भरण–पोषण राशि 5000/– रूपये दिलवाये जाने के आदेश फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी अप्रार्थी पिता पुत्र है। प्रार्थी को घर से निकाल कर प्रार्थी के खाते की भूमि पर कब्जा कर लिया है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थी को प्रतिमाह 1 से 5 तारीख को मध्य 2000–2000 कुल 4000 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि प्रार्थी को उपलब्ध करावें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.11.18 10:56:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: